न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नामः महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्याः 13/2023
निर्णय दिनांकः 09.02.2024

उनवान

1. काजल भंडारी पत्नी अमित भंडारी, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर 80, ऊषा कॉलोनी, कैलगिरी हॉस्पिटल के सामने, मालवीय नगर, जयपुर।

वादिया

बनाम

1. कैलाश पुत्र छोटू, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वास सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादिया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादिया अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादिया द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया, वादिया उक्त भूमि की सहखातेदार है एवं उक्त भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है। बहस वादिया अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर वादिया का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 19.04.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया। दिनांक 08.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया। दिनांक 17.08.2023 को वादिया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया। दिनांक 07.02.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 [illegible] सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./डिक्री/2023/573 दिनांक [illegible] संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत [illegible] मिसल है। वकील वादिया ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई। वादिया अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकन किये जाने से ज्ञात हुआ कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अंकित किया है कि वादिया ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय किया कर दिया गया है, वादिया के स्थान पर वर्तमान में दीपक कुमार, परवीन पत्नी मोहम्मद फारूख व मोहम्मद फारूक जमाबन्दी में खातेदार है, आदेश 22 नियम 10 जा0दी0 के अनुसार जो हित वादिया के निहित है वही क्रेताओं पर लागू होगें, ऐसी स्थिति में जो हिस्सा वादिया को प्राप्त होना है, वही क्रेताओं को दिया जाना है, तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में भी वादिया के स्थान पर क्रेताओं का मौका स्थिति अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है, जिसमें वादिया द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गई है, ऐसी स्थिति में वादिया का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम रामसिंहपुरा वास सांगानेर, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	91	0.2800	चाही 1		कैलाश पुत्र छोटू हि. 2003/2800 जाति हरियाणा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, दीपक कुमार मंगलानी पुत्र ईश्वरदास मंगलानी हि. 797/5600 जाति सिन्धी, निवासी 2–ख–5, जवाहर नगर, मोहम्मद फारूख पुत्र अब्दुल शकूर हि. 797/11200, परवीन पत्नी मोहम्मद फारूख हि. 797/11200 जाति मुसलमान, निवासी प्लॉट नम्बर 13, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, खातेदार
	किता–01	0.2800	चाही 1		

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	91 मिन	0.0797	दीपक कुमार मंगलानी पुत्र [illegible] मंगलानी हि. 1/2 जा[illegible] सिन्[illegible] निवासी 2–ख–5 [illegible] मोहम्मद [illegible] 1/4, परवीन पत्नी मोहम्मद [illegible]ख हि. 1/4 जाति मुसलमान, [illegible]सी प्लॉट नम्बर 13, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, खातेदार	चाही 1
	किता–01	0.0797		

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

2	91 मिन	0.2003	कैलाश पुत्र छोटू जाति हरियाणा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार	चाही 1
	किता–01	0.2003		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:32 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर** मुकाम जयपुर व इजलास **महीपाल सिंह, आर.ए.एस.**

वाद पत्र संख्या : 13/2023

1. काजल भंडारी पत्नी अमित भंडारी, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर 80, ऊषा कॉलोनी, कैलगिरी हॉस्पिटल के सामने, मालवीय नगर, जयपुर।

वादिया

बनाम

1. कैलाश पुत्र छोटू, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वास सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादिया मिन जानिब मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम रामसिंहपुरा वास सांगानेर, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	91	0.2800			कैलाश पुत्र छोटू हि. 2003/2800 जाति हरियाणा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, दीपक कुमार मंगलानी पुत्र ईश्वरदास मंगलानी हि. 797/5600 जाति सिन्धी, निवासी 2–ख–5, जवा[illegible] [illegible] फारूख पुत्र [illegible]दुल [illegible]र हि. 797/11200 [illegible] पत्नी [illegible] 797/11200 जाति मुसलमान, [illegible]वासी प्लॉट नम्बर 13, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, खातेदार
	किता–01	0.2800			

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	91 मिन	0.0797	दीपक कुमार मंगलानी पुत्र ईश्वरदास मंगलानी हि. 1/2 जाति सिन्धी, निवासी 2–ख–5, जवाहर नगर, मोहम्मद फारूख पुत्र अब्दुल शकूर हि. 1/4, परवीन पत्नी मोहम्मद फारूख हि. 1/4 जाति मुसलमान, निवासी प्लॉट नम्बर 13, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, खातेदार	चाही 1
	किता–01	0.0797		
2	91 मिन	0.2003	कैलाश पुत्र छोटू जाति हरियाणा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार	चाही 1
	किता–01	0.2003		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2024 को जारी की गई।

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ....

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	0 0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:34:32 IST
Reason: SelfAttested